मैसर्स आईकॉम टेली लिमिटेड।

वी

पंजाब राज्य जल आपूर्ति एवं

सीवरेज बोर्ड एवं ए.एन.आर.

(सिविल अपील क्रमांक 2713 2019)

बी

11 मार्च 2019

[आरएफ नरीमन और विनीत सरन, न्यायाधीशगण]

मध्यस्थता करना:

आरएफ नरीमन, न्यायाधीश 1. अनुमति स्वीकृत।

2. 2008 में, पंजाब राज्य जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, भटिंडा ने टर्नकी आधार पर उसमें उल्लिखित विभिन्न शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवरेज योजना, पंपिंग स्टेशन और सीवरेज उपचार संयंत्र के विस्तार और संवर्द्धन के लिए निविदा आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया। 25.9.2008 को, अपीलकर्ता कंपनी, जो भारत में सिविल/इलेक्ट्रिकल कार्यों में शामिल है, को कार्य के लिए सबसे उपयुक्त पाए जाने के बाद उक्त निविदा प्रदान की गई थी। 16.1.2009 को, अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच एक औपचारिक अनुबंध दर्ज किया गया था। यह उल्लेख किया जा सकता है कि निविदा आमंत्रित करने का नोटिस औपचारिक समझौते का हिस्सा था। निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस में एक विस्तृत मध्यस्थता कंडिका शामिल है। इस मामले में, हम कंडिका 25(viii) से चिंतित हैं जो निम्नानुसार निर्धारित है: –

"viii। यह इस अनुबंध की एक आवश्यक शर्त होगी कि निराधार दावों से बचने के लिए मध्यस्थता का आह्वान करने वाली पक्षकार प्रत्येक दावे के तहत दावा की गई राशि बताते हुए तथ्यों और गणनाओं के आधार पर विवाद को निर्दिष्ट करेगी और "डिपोजिट एट कॉल" प्रस्तुत करेगी। दावा की गई राशि के दस प्रतिशत के लिए, अपने आधिकारिक पदनाम के अनुसार मध्यस्थ के नाम पर एक सूची बैंक पर, जो पुरस्कार की घोषणा तक राशि जमा रखेगा। दावेदार के पक्ष में निर्णय की स्थिति में, जमा राशि दावा की गई राशि के संबंध में दी गई राशि के अनुपात में उसे वापस कर दिया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी और दूसरे पक्ष को भुगतान कर दिया जाएगा।"

3. अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के साथ समान अनुबंध में प्रवेश किया था जिसमें समान मध्यस्थता कंडिका शामिल था। इसलिए इसने उन मामलों में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में प्रतिवादी नंबर 2 को पत्र

संबोधित किया था और 10% जमा शुल्क माफ करने की मांग की थी। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, अपीलकर्ता ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 18917/2016 के रूप में एक रिट याचिका दायर की थी। इस रिट याचिका को दिनांक 14.9.2016 के एक निर्णय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि ऐसी निविदा शर्त को किसी भी तरह से मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

4. दिनांक 8.3.2017 को, अपीलकर्ता ने सिविल रिट याचिका संख्या 4882/2017 दायर करके मध्यस्थता कंडिका के इस हिस्से की वैधता को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में केवल अपने पूर्व के निर्णय का पालन किया। और इस रिट याचिका को भी खारिज कर दिया।

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि निविदा शर्त में निहित मध्यस्थता कंडिका आसंजन के अनुबंध के बराबर है, और चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 और अपीलकर्ता के बीच अनुचित सौदेबाजी की ताकत है, इसलिए इस कंडिका को समाप्त किया जाना चाहिए केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली, (1986) 3 एससीसी 156 में निर्णय के उपरांत उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि मध्यस्थता एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है, 10% जमा राशि उपरोक्त प्रक्रिया में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, दावे अंततः तर्क संगंत पाए जा सकते हैं लेकिन उन्हें निराधार नहीं होना चाहिए। साथ ही, निराधार दावों की भरपाई भारी लागत से की जा सकती है। इसके अलावा, इस स्थिति में भी कि पुरस्कार दावेदार के पक्ष में है, उसे जो लौटाया जा सकता है वह केवल दी गई राशि के अनुपात में होगा और बाकी राशि जब्त कर ली जाएगी। यह प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से एक और स्वेच्छाचारिता और स्वच्छंद कार्रवाई होगी।

6. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं है। यह स्पष्ट है कि कंडिका 25(viii) दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होगा, और जैसा कि ऐसा है, उक्त कंडिका को भेदभावपूर्ण होने के कारण रद्द नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में निहित सिद्धांत। (उपरोक्त) संभवतः वाणिज्यिक अनुबंधों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, इसी तरह के मामलों में, इस न्यायालय ने इस तरह की चुनौती पर विचार नहीं किया है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, यह देखा जाएगा कि किसी पक्ष द्वारा मध्यस्थता कंडिका को सफलतापूर्वक लागू करने से पहले 10% "डिपॉजिट–एट–कॉल" इस आधार पर है कि यह निराधार दावों से बचने के लिए है। कंडिका 25(xv) भी महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया है:

"xv. इस अनुबंध से संबंधित कोई भी प्रश्न मध्यस्थता कार्यवाही शुरू किए बिना और पूरा किए बिना किसी भी व्यवहार न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाएगा, यदि यह मुद्दा इस अनुबंध के तहत मध्यस्थता के दायरे में आता है। लंबित मध्यस्थता कार्यवाही अभियंता प्रभारी को अधिकार से वंचित नहीं करेगी –अनुबंध समाप्त करने और काम पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का आरोप।"

8. इस कंडिका से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि मध्यस्थता को एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया माना जाता है और यदि पक्षों के बीच विवाद मध्यस्थता कंडिका के अंतर्गत आते हैं तो व्यवहार न्यायालय में प्रवेश वंचन की मांग की जाती है।

9. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं, क्योंकि वे अनुबंध के दायरे में हैं, जब तक कि वे स्वेच्छाचारिता, भेदभावपूर्ण या द्वेष से प्रेरित न हों। इस प्रकार, शिक्षा निदेशालय बनाम एडुकॉम्प डेटामैटिक्स लिमिटेड , (2004) 4 एससीसी 19 में , माननीय न्यायालय ने कहा:

"9. अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि न्यायालय स्वेच्छाचारिता या पक्षपात को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा दिए गए अनुबंधों की जांच कर सकती हैं। यद्वपि, शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की। निविदाएं जारी करके बोलियां आमंत्रित करते समय संविदात्मक मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा की इस बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ में गहराई से जांच की गई है [(1994) 6 एससीसी 651] पूरे मामले–कानून की जांच के बाद निम्नलिखित सिद्धांत प्रख्यापित किये गये है:

"94. उपरोक्त से निःसृत सिद्धांत हैं:

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्रवाई में न्यायिक संयम की ओर इशारा करती है।

(2) न्यायालय अपील की न्यायालय के रूप में नहीं बैठती बल्कि केवल निर्णय लेने के तरीके की समीक्षा करती है।

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा की अनुमति दी जाती है तो यह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना, अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित कर देगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

(4) निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हो सकतीं क्योंकि निविदा आमंत्रण अनुबंध के दायरे में है। सामान्यतया, निविदा स्वीकार करने या अनुबंध देने का निर्णय कई स्तरों के माध्यम से बातचीत की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। अक्सर, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

(5) सरकार को संविदा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध–प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रशासनिक निकाय के लिए जोड़ों में निष्पक्ष खेल एक आवश्यक सहवर्ती है। हालाँकि, निर्णय को न केवल तर्कसंगतता के वेडनसबरी सिद्धांत (ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए, बल्कि पूर्वाग्रह से प्रभावित या दुर्भावना से प्रेरित स्वेच्छाचारिता से मुक्त होना चाहिए।

(6) निर्णयों को रद्द करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और व्यय में वृद्धि हो सकती है और बजट रहित हो सकता है।"

(मूल में जोर)

"12. इन निर्णयों में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं, जो अनुबंध के दायरे में भी हैं। सरकार को निविदा की शर्तें निर्धारित करने में स्वतंत्र हाथ होना चाहिए प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रशासनिक निकाय के लिए आवश्यक सहवर्ती के रूप में इसके जोड़ों में उचित भूमिका होनी चाहिए। न्यायालय प्रशासनिक नीति निर्णय में तभी हस्तक्षेप करेंगी जब यह मनमाना, भेदभावपूर्ण, दुर्भावनापूर्ण या पूर्वाग्रह से प्रेरित हो। यह इसका हकदार है विशेष परिस्थितियों में व्यावहारिक समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। न्यायालय सरकार द्वारा निर्धारित निविदा की शर्तों को रद्द नहीं कर सकती हैं क्योंकि उसे लगता है कि निविदा में कुछ अन्य शर्तें निष्पक्ष, समझदार या तार्किक होतीं। न्यायालय केवल हस्तक्षेप कर सकती हैं यदि नीतिगत निर्णय मनमाना, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण है।"

10. इसी तरह का प्रभाव ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड , (2005) 4 एससीसी 435 में लिया गया निर्णय है । जहां इस न्यायालय ने कहा:

"10. इसलिए, सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है कि निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं हैं और न्यायालय निविदा की शर्तों को कम नहीं कर सकती हैं क्योंकि वे अनुबंध के दायरे में हैं जब तक कि वे पूरी तरह से स्वेच्छाचारिता न हों। भेदभावपूर्ण या द्वेष से प्रेरित। यह कानून की स्थिति है, जिसे इस न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला द्वारा तय किया गया है, यह आश्चर्यजनक है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका की प्रवेश सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम निर्देश पारित किया और अनुमति दी अपीलकर्ताओं को निविदा खुलने की वास्तविक तिथि के तीन दिन बाद तक बैंक गारंटी या बैंकर्स चेक प्रस्तुत

करके अग्रिम राशि जमा करनी होगी। विद्वान एकल न्यायमूर्ति का आदेश पूरी तरह से अवैध होने के कारण इसलिए, खंडपीठ ने सही तरीके से खारिज कर दिया था ।"

11. जैसा कि उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा समयक तरीके से तर्क दिया गया है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम में इस न्यायालय का निर्णय। (उपरोक्त), जो बताता है कि आसंजन के अनुबंध, अर्थात्, ऐसे अनुबंध जिनमें निजी व्यक्तियों और राज्य के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति होती है, इस आधार पर रद्द किए जा सकते हैं कि वे विवेकहीन हैं, यह वहां लागू नहीं होता है जहां दोनों पक्ष हैं व्यवसायी और अनुबंध एक वाणिज्यिक लेनदेन है (उक्त निर्णय का कंडिका 89 देखें)। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस निर्णय पर आधारित अपीलकर्ता का तर्क विफल होना चाहिए।

12. एस.के. जैन बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 4 एससीसी 357 , में इस न्यायालय ने एक समझौते में मध्यस्थता कंडिका से निष्पादित किया गया जो इस प्रकार है: –

"11. समझौते के कंडिका 25–ए का उप–कंडिका (7) इस प्रकार है:

" 25–ए। (7) इस अनुबंध समझौते की एक शर्त यह भी है कि जहां मध्यस्थता का आह्वान करने वाला पक्ष ठेकेदार है, मध्यस्थता के लिए कोई भी संदर्भ तब तक बनाए रखने योग्य नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार कार्य के प्रभारी कार्यकारी अभियंता की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत नहीं करता है। , नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित राशि की सुरक्षा जमा राशि और इस प्रकार जमा की गई राशि, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, दावेदार पक्ष के विरूद्व मध्यस्थ द्वारा दी गई लागत, यदि कोई हो, और उसके बाद शेष राशि के विरुद्ध समायोजित की जाएगी। ऐसे किसी भी लागत के भुगतान के अभाव में समायोजन, पुरस्कार की तारीख से एक महीने के भीतर उसे पूरी राशि वापस कर दी जाएगी–

दावे की राशि	सुरक्षा जमा की दर
10,000 रुपये से कम के दावों के लिए	दावा की गई राशि का 2%
10,000 रुपये और उससे अधिक तथा 1,00,000 रुपये से कम के दावों के लिए	दावा की गई राशि का 5%
1,00,000 रुपये और उससे अधिक के दावों के लिए	दावा की गई राशि का 7%।"

13. इस तरह के कंडिका को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के निर्णय का उल्लेख किया। (उपरोक्त) और इस निर्णय को अलग करते हुए कहा कि असमान सौदेबाजी की

शक्ति की अवधारणा का वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। इसके बाद यह कायम रहा:–

"14 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कंडिका 25–ए के उप–कंडिका (7) के संदर्भ में देय मात्रा की एक सीमा होनी चाहिए। यह दलील स्पष्ट रूप से निरर्थक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए यह इसमें शामिल मात्रा के आधार पर संरचित है। दावा जितना अधिक होगा, शुल्क की राशि उतनी ही अधिक होगी। इसमें एक तर्क है। यह निराधार और बढ़े हुए दावों को रोकने के लिए संतुलन कारक है। यदि अपीलकर्ताओं की दलील है स्वीकार किया कि आंकड़े की एक सीमा होनी चाहिए, जो दावेदार अधिक दावा कर रहा है वह कम राशि का दावा करने वाले की तुलना में बेहतर स्थिति में है।"

14. यह देखा जाएगा कि इस निर्णय में यह दलील नहीं दी गई थी कि मध्यस्थता कंडिका में निहित उपरोक्त शर्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है क्योंकि ऐसा कंडिका मनमाना है। एकमात्र दलील यह थी कि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का अनुपात। (उपरोक्त) लागू होगा और सुरक्षा जमा के माध्यम से देय मात्रा की एक सीमा होनी चाहिए, दोनों दलीलों को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। साथ ही, मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति पर, की गई सुरक्षा जमा राशि को पहले लागत के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा यदि मध्यस्थ ने दावेदार पक्षकार के विरूद्ध कोई फैसला सुनाया है, और इस तरह के समायोजन के बाद शेष राशि जमा करने वाली पक्षकार को वापस कर दी जाएगी। यह खंड, खंड 25(viii) से भौतिक रूप से भिन्न है, जो, जैसा कि हमने देखा है, यह स्पष्ट करता है कि सभी मामलों में जमा दावा की गई राशि का 10% होना चाहिए और पुनः वापसी केवल दी गई राशि के अनुपात में ही हो सकता है। दावा की गई राशि के संबंध में, शेष राशि जब्त कर ली जाएगी और दूसरे पक्ष को भुगतान कर दिया जाएगा, भले ही वह दूसरा पक्ष मुकदमा हार गया हो। ऐसा होने पर, यह निर्णय पूरी तरह से अलग है और वर्तमान मामले के तथ्यों पर बिल्कुल भी लागू नहीं होता है।

15. एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड , (2004) 3 एससीसी 553 , में इस न्यायालय ने माना है कि संविदात्मक क्षेत्र के भीतर भी, "राज्य" प्राधिकारी या सहायक व्यक्तियों द्वारा निष्पक्ष, उचित और यथोचित कार्य करने के लिए अनुच्छेद 14 की आवश्यकता समुचित है। इस प्रकार, इस न्यायालय ने कहा:

"23। इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से यह स्पष्ट है, एक बार जब राज्य या राज्य का एक साधन अनुबंध का एक पक्ष होता है, तो निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित रूप से कार्य करना कानून में उसका दायित्व है जो कि अनुच्छेद 14 की आवश्यकता है। भारत के संविधान का। इसलिए, यदि अपीलकर्ताओं के

दावे को खारिज करके राज्य के साधन के रूप में प्रथम प्रतिवादी ने अनुच्छेद 14 की उपर्युक्त आवश्यकता का अवहेलना किया है, तो हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक रिट न्यायालय पहले प्रतिवादी के मनमाने कार्यों को सही करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है...

---

27. हमारी उपरोक्त चर्चा से, रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में निम्नलिखित कानूनी सिद्धांत सामने आते हैं:

(ए) एक उपयुक्त मामले में, एक संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न राज्य या राज्य के एक साधन के विरूद्ध एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है,

---

53. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जब राज्य का कोई साधन अपने संविदात्मक, संवैधानिक या वैधानिक दायित्वों में सार्वजनिक भलाई और सार्वजनिक हित के विपरीत, अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित तरीके से कार्य करता है, तो यह वास्तव में संवैधानिक गारंटी के विपरीत कार्य करता है। संविधान का अनुच्छेद 14..."

16. इस प्रकार, यह देखा जाना चाहिए कि क्या उपरोक्त कंडिका 25(viii) को मनमाना या भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहा जा सकता है।

17. हम उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता से सहमत हैं कि उपरोक्त कंडिका को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह प्रतिवादी संख्या 2 और अपीलकर्ता दोनों पर समान रूप से लागू होता है। हालाँकि, स्वेच्छाचारिता अनुच्छेद 14 का एक अलग और विशिष्ट पहलू है। ए.एल.कालरा बनाम द प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, [1984] 3 एस.सीआर 646 में, इस न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि स्वेच्छाचारिता केवल भेदभाव का एक पहलू है। . श्री लाल नारायण सिन्हा का तर्क इस प्रकार दर्ज किया गया (पृष्ठ 661 पर):–

"यह आग्रह किया गया था कि किसी विशिष्ट दलील के अभाव में यह बताया जाए कि क्या कोई अन्य भी अपीलकर्ता के समान स्थित था या उसने भेदभाव के आरोप पर विचार नहीं किया था और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आरोप पर किसी राहत का दावा नहीं किया जा सकता है। या संविधान का अनुच्छेद 16 । यह प्रस्तुत किया गया था कि अभिव्यक्ति में भेदभाव बराबर के बीच तुलना की अवधारणा को आयात करती है और यदि परिणामी असमानता को उपचार में इंगित किया जाता है तो भेदभाव के आरोप पर विचार किया जा सकता है और कोई कह सकता है कि समान सुरक्षा कानून का कंडिकान किया गया है। प्रस्तुतीकरण का विस्तार करते हुए, यह आग्रह किया गया कि कला में 'समानता' अभिव्यक्ति का उपयोग। अनुच्छेद 14 और

तुलना का आयात करता है जो स्थिति के एक से अधिक व्यक्ति पर आधारित है और तुलना के लिए उपलब्ध सामग्री के अभाव में है, भेदभाव की दलील विफल होनी चाहिए। परिणामस्वरूप, यह आग्रह किया गया कि तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए सामग्री के अभाव में न केवल भेदभाव के आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता है, बल्कि कार्यकारी कार्रवाई को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि कार्रवाई मनमाना है। ।"

18. इस तर्क को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया (पृष्ठ 662–663 पर):–

"इस प्रकार यह अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 14 कार्यकारी/प्रशासनिक कार्रवाई में स्वेच्छाचारिता पर प्रहार करता है क्योंकि कोई भी कार्रवाई जो स्वेच्छाचारिता है, उसमें आवश्यक रूप से समानता का निषेध शामिल होना चाहिए। किसी को समानता के इनकार को दो व्यक्तियों के बीच तुलनात्मक मूल्यांकन तक सीमित करने की आवश्यकता नहीं है। भेदभावपूर्ण व्यवहार का निष्कर्ष। मनमाने ढंग से किया गया कार्य कानून द्वारा समान सुरक्षा से मना करता है। संविधान पीठ ने अजय हसिया के मामले में प्रासंगिक रूप से देखा [[1981] 2 एस.सीआर 79] और मामले को विवाद से परे रखा जब उसने कहा 'इसलिए जहां भी, राज्य की कार्रवाई में स्वेच्छाचारिता होती है, चाहे वह विधायिका की हो या कार्यपालिका की अनुच्छेद 12 के तहत एक "प्राधिकरण" की, अनुच्छेद 14 के तहत् तुरंत कार्रवाई में आता है और ऐसी राज्य कार्रवाई को रद्द कर देता है।' डी. एस . नकारा बनाम भारत संघ [1983] 1 एससीसी 305] में इस दृष्टिकोण को और अधिक विस्तृत और पुष्ट किया गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ [1978] 2 एस.सीआर 621] में यह देखा गया कि कला . 14 राज्य की कार्रवाई में स्वेच्छाचारिता पर प्रहार करता है और उपचार की निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार यह तर्क देने में बहुत देर हो चुकी है कि मनमाने ढंग से दिखाई गई कार्यकारी कार्रवाई या तो न्यायिक रूप से समीक्षा योग्य नहीं है या अनुच्छेद 14 की पहुंच के भीतर नहीं है।"

19. हमें यह देखना होगा कि क्या कंडिका 25(viii) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का मनमाना और उल्लंघनकारी कहा जा सकता है।

20. ध्यान देने वाली पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि दावा की गई राशि का 10% "डिपोजिट एट कॉल" मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष द्वारा निराधार दावों से बचने के लिए है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि एक निराधार दावे को अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जा सकता है। इस प्रकार, ज्ञानदेव सबाजी नाइक बनाम प्रदन्या प्रकाश खाडेकर, (2017) 5 एससीसी 496 में , इस न्यायालय ने कहा:

"14. कानूनी प्रणाली में न्यायालय – यह न्यायालय अपवाद नहीं है – मुकदमेबाजी से भरी हुई हैं। निराधार और निराधार दाखिलियाँ न्याय प्रशासन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। वे समय बर्बाद करते हैं और बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध करते हैं। उत्पादक संसाधन जिन्हें तैनात किया जाना चाहिए वास्तविक कारणों से निपटने का काम केवल देरी से लाभ लेने के लिए दायर किए गए मामलों पर ध्यान देने, मृत मुद्दों को लंबा खींचने और बेकार कारणों का पीछा करने में बर्बाद हो जाता है। किसी भी वादी का देरी में निहित स्वार्थ नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से, जैसा कि वर्तमान मामला उदाहरण देता है, न्याय देने की प्रक्रिया इसका दुरुपयोग बेईमानों द्वारा वैध को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। वर्तमान मामला इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण मुद्दे ने अदालतों का समय बर्बाद कर दिया है और कैसे अपरिहार्य को लंबा करने के लिए लगातार आवेदन दायर किए गए हैं। वह व्यक्ति जिसके पक्ष में संतुलन है एक पुराने मुद्दे को बार–बार पुनर्जीवित करने के प्रयासों से न्याय की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। इस प्रवृत्ति पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब पूरे व्यवस्था में न्यायालय एक संस्थागत दृष्टिकोण अपनाएं जो इस तरह के व्यवहार को दंडित करती है। न्याय तक सहज पहुंच का मतलब अराजकता और अनुशासनहीनता तक पहुंच नहीं है। एक कड़ा संदेश अवश्य दिया जाना चाहिए कि कानून में देरी से लाभ कमाने के लिए बनाई गई मुकदमेबाजी की रणनीतियों से न्याय की अदालतों को बाधित नहीं होने दिंया जाएगा। जब तक यहा और अब सभी अदालतों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारा समाज परित्याग के बजाय टाल–मटोल पर आधारित कानूनी संस्कृति को जन्म देगा। ऐसी स्थितियों से दृढ़ता से निपटना प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है। अनुकरणीय लागत लगाना एक आवश्यक उपकरण है जिसे समाप्त करने के साथ–साथ निराधार मामलों को दायर करने से रोकने के लिए तैनात किया जाना चाहिए । केवल तभी न्यायालय वास्तविक कारणों को हल करने और उन लोगों की चिंताओं का जवाब देने के लिए समय निर्धारित कर सकती हैं जिन्हें न्याय की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक शिकायतों वाले नागरिकों को अदालतों तक पहुंच उपलब्ध हो, वास्तविक समय लागत लगाना भी आवश्यक है। अन्यथा, व्यवस्था में अनावश्यक मामलों की बाढ़ आ जाने से वैध कारणों के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आने नहीं दी जा सकती. इसलिए यह केवल विवेक का मामला नहीं है, बल्कि सभी अदालतों पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य और दायित्व है कि कानूनी प्रणाली का उन लोगों द्वारा शोषण न किया जाए जो न्याय को हराने या देरी करने के लिए कानून के रूपों का उपयोग करते हैं। हम सभी अदालतों की सराहना करते हैं कि वे अनावश्यक दाखिलों से इसी तरह निपटें।"

(जोर दिया गया)

21. इसलिए यह उस पक्ष के लिए हमेशा खुला है जो इस सिद्धांत को लागू करने के लिए मध्यस्थ के समक्ष सफल हो गया है और यह मध्यस्थ के लिए खुला है कि वह अनुकरणीय लागत लगाने पर किसी दावे को निराधार बताकर खारिज कर दे।

22. हम "जनरल मोटर्स (आई) (पी) लिमिटेड बनाम अशोक रमणिक लाल तोलाट, (2015) 1 एससीसी 429 में इस न्यायालय के निर्णय पर ध्यान दे सकते हैं कि जब कोई न्यायालय किसी निराधार मुकदमे के साथ संपर्क करती है तो दंडात्मक हर्जाना दिया जाता है। इस न्यायालय ने कहा:–

"16. हम दंडात्मक हर्जाना देने के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सत्यता के मुद्दे से निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा करने से पहले, हम देख सकते हैं कि प्रतिवादी शिकायतकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर, अपने लिखित प्रस्तुतीकरण में विभिन्न प्रश्न उठाए हैं, जिनमें शामिल हैं सवाल यह है कि अपीलकर्ता से उसके द्वारा बेचे गए वाहनों की आय का हिसाब मांगा जाना चाहिए। माना जाता है कि, प्रश्न में वाहन को अपीलकर्ता को वापस सौंपने का आदेश दिया गया है, जिसके विरूद्ध प्रतिवादी शिकायतकर्ता का कोई दावा नहीं है। इस प्रकार, उठाई गई याचिका है बिना किसी योग्यता के। 100 करोड़ रुपये के अतिरिक्त दंडात्मक हर्जाने और इस न्यायालय में उसे घसीटने के लिए हर्जाना के लिए उठाया गया दूसरा मुद्दा, उसके द्वारा दायर शिकायत में शिकायतकर्ता के दावे से परे होने के कारण कोई विचार करने योग्य नहीं है। इसके अलावा, कोई भी वादी नहीं हो सकता है केवल इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए दंडात्मक हर्जाने के रूप में दंडित किया जाएगा, जब तक कि इसका मामला निराधार न पाया जाए।"

23. इस मामले द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जब तक यह पहली बार नहीं पाया जाता है कि जो मुकदमा शुरू किया गया है वह निराधार है, अनुकरणीय लागत या दंडात्मक क्षति का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, दावा की गई राशि का 10% "डिपोजिट एट कॉल", जो कि बड़ी रकम हो सकती है, स्पष्ट रूप से निराधार दावों को दाखिल करने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष संबंध के बिना है, क्योंकि यह सभी दावों (निराधार) पर लागू होता है या अन्यथा) बिल्कुल दहलीज पर बनाया गया। किसी भी निर्णय से पहले 10% जमा करना होगा कि मध्यस्थता का आह्वान करने वाली पक्षकार द्वारा किया गया दावा निराधार है। यह भी मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऐसा कंडिका इस अर्थ में मनमाना होगा कि यह कुछ ऐसा होगा जो अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा और जिसके लिए कोई भी उचित व्यक्ति सहमत नहीं होगा। वास्तव में, किसी दावे को खारिज किया जा सकता है, लेकिन उसे निराधार नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि जहां तीन मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं, वहां बहुमत और अल्पसंख्यक निर्णय होते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो संभावित या यहां

तक कि प्रशंसनीय विचार भी हो सकते हैं जो इंगित करेगा कि दावा गुण–दोष के आधार पर खारिज किया गया है या स्वीकार किया गया है, इसलिए नहीं कि यह निराधार है। इसके अलावा, यहां तक कि जहां कोई दावा उचित और सही पाया जाता है, जमा की गई राशि सफल दावेदार को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए एक अनुबंध की समाप्ति के अवैध होने और इसके परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान पर आधारित दावा लें। यदि दावा सफल हो जाता है और समाप्ति को अवैध मानकर रद्द कर दिया जाता है और विद्वान मध्यस्थ द्वारा एक करोड़ का हर्जाना दावा अंततः केवल दस लाख पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो जमा की गई राशि का केवल दसवां हिस्सा ही सफल पक्ष को लौटाया जाएगा। जो पक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में हार गया है, वह जमा राशि का नौवां हिस्सा जब्त करने का हकदार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त पक्ष के पास उसके विरूद्ध एक पुरस्कार है। यह पूरे कंडिका को पूरी तरह से मनमाना बना देगा, जो न केवल अत्यधिक या अनुपातहीन होगा, बल्कि एक पक्ष के लिए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण परिणाम देगा, जिसने मध्यस्थता खो दी है, वह जमा राशि के ऐसे हिस्से को जब्त करने का हकदार होगा, जो दी गई राशि की तुलना में आनुपातिक रूप से कम है। क्या दावा किया गया है.

24. इसके अलावा, यह भी स्थापित कानून है कि मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसे अदालतों में लंबित मामलों और मुकदमेबाजी की लागत के कारण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जमा करने के संबंध में कोई भी आवश्यकता निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी। इसके अलावा, यह कल्पना करना आसान है कि अक्सर एक बड़े दावे का 10% जमा अदालती शुल्क से भी अधिक होगा जो व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर करने के लिए लिया जा सकता है। जम्मू–कश्मीर राज्य बनाम देवदत्त पंडित, (1999) 7 एससीसी 339 में इस न्यायालय ने कहा है:–

"23. मध्यस्थता को एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद निवारण प्रक्रिया माना जाता है, जिसे अदालतों में लंबित मामलों की उच्च संख्या और मुकदमेबाजी की लागत के कारण प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मध्यस्थता को पूरी गंभीरता से देखा जाना चाहिए ताकि मुकदमेबाज जनता का विश्वास बना रहे। इस प्रक्रिया से उनके विवादों का त्वरित समाधान हो सकेगा। वर्तमान मामले में जो हुआ वह निश्चित रूप से एक विरोधाभासी स्थिति है, जिससे बचना चाहिए। कुल ठेका 12,23,500 रुपये का है। जब ठेकेदार ने 50% से कम काम किया हो अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। उसे 5,71,900 रुपये का भुगतान किया गया है। धारा 20 याचिका में वह 39,47,000 रुपये का दावा करता है और मध्यस्थ के समक्ष दावा बढ़कर 63,61,000 रुपये हो जाता है। वह रुपये लेकर भाग जाता है। 20,08,000 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज और 18% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ। इस प्रकार की मध्यस्थता मजाक का विषय बन जाती है और

मध्यस्थता संस्था की मदद नहीं करती है। बल्कि यह बदनामी लाती है। समग्र रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया. जब दावों को सभी अनुपातों से बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है, तो न केवल दूसरे पक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, बल्कि ऐसे बढ़े हुए दावे करने वाली पक्षकार को लागत से वंचित भी किया जाना चाहिए। इसलिए, हमने रुपये की लागत का पुरस्कार रद्द कर दिया। 7500 रुपये ठेकेदार के पक्ष में और जम्मू–कश्मीर राज्य के ख़िलाफ़ दिए गए।"

(जोर दिया गया)

25. इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह भी दोहराया गया है कि मध्यस्थता का प्राथमिक उद्देश्य विवादों के त्वरित, प्रभावी, सस्ते और त्वरित तरीके से अंतिम निपटान तक पहुंचना है। इस प्रकार, सेंट्रोट्रेड मिनरल्स एंड मेटल इंक. बनाम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड , (2017) 2 एससीसी 228 में , इस न्यायालय ने कहा:

"39. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम यूपी स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड में । [(2015) 2 एससीसी 52] इस न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह के कानून और अभ्यास पर ओपी मल्होत्रा (सुश्री इंदु मल्होत्रा द्वारा संशोधित तीसरा संस्करण) के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। , वरिष्ठ अधिवक्ता)] कि ए एंड सी अधिनियम के चार मूलभूत स्तंभ हैं और फिर रिपोर्ट के कंडिका 16 में देखा गया है कि:

"16. पहले स्तंभ का पहला और सर्वोपरि सिद्धांत 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निष्पक्ष, त्वरित और सस्ता परीक्षण' है। अनावश्यक देरी या व्यय मध्यस्थता के उद्देश्य को विफल कर देगा। दिलचस्प बात यह है कि अधिनियम में मान्यता प्राप्त दूसरा सिद्धांत है प्रक्रिया के चुनाव में पक्षकार की स्वायत्तता। इसका मतलब यह है कि यदि मध्यस्थता समझौते में एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिस पर पार्टियां सहमत हैं, तो आम तौर पर इसका सहारा लिया जाना चाहिए।"

(मूल में जोर)

26. इसी तरह, भारत संघ बनाम वरिंदरा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड , (2018) 7 एससीसी 794 में , इस न्यायालय ने कहा: –

"12. मध्यस्थता का प्राथमिक उद्देश्य त्वरित, प्रभावी, सस्ते और शीघ्र तरीके से अंतिम समाधान तक पहुंचना है। मध्यस्थता के संबंध में कानून को विनियमित करने के लिए, विधायिका कानून लेकर आई जिसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के रूप में जाना जाता है। . मध्यस्थता प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, विधायिका ने उन मामलों में अदालतों की भूमिका को प्रतिबंधित कर दिया है जहां मामला मध्यस्थता के अधीन है। अधिनियम की धारा 5 ने विशेष रूप से अदालतों के हस्तक्षेप को कुछ हद तक प्रतिबंधित कर दिया है। दूसरे शब्दों में, यह केवल असाधारण परिस्थितियों में, जैसा कि इस अधिनियम

द्वारा प्रदान किया गया है, न्यायालय उस विवाद में हस्तक्षेप करने का हकदार है जो मध्यस्थता का विषय है। ऐसा हस्तक्षेप मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, उसके बाद या बाद में हो सकता है, जैसा भी मामला हो। संक्षेप में, न्यायालय मध्यस्थता के विषय–वस्तु में तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि दोनों पक्षों में से किसी एक के साथ अन्याय न हो।"

27. किसी मध्यस्थता पक्ष को 10% की अग्रिम–जमा द्वारा इस वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया को लागू करने से रोकना मध्यस्थता को हतोत्साहित करेगा, जो न्यायालय प्रणाली को अवरुद्ध करने के उद्देश्य के विपरीत है, और मध्यस्थता प्रक्रिया को अप्रभावी और मंहगा बना देगा।

28. इन सभी कारणों से, हम निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस के कंडिका 25(viii) को रद्द करते हैं। यह खंड, खंड 25 के बाकी हिस्सों से अलग होने के कारण खंड, खंड 25 के शेष हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा। उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया गया है और अपील की अनुमति दी गई है।

निधि जैन।

अपील स्वीकृत

अनुवादक

राकेश कुमार मिश्रा